

भाग-iv

प्रस्ताव सं०- 42085/2019

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा

के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और

निर्दिष्ट सिफारिशें।

अथवा बा.सं. की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)



दिनांक- 21/01/20

स्थान-

हस्ताक्षर
Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

सरकारी मोहर